सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर

AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं PUBLIC NOTICE. NO. 29 /2020-DATE:21.05.2020

(दस्तावेज पहचान सं / DIN-20200572MP00004O534C:)

विषय:एफ.ओ.सी/एन.सी.वी वस्तुओं के परीक्षण / निर्धारण के लिए अनुदेश के संबंध में ।

Subject: Instructions for Assessment/Examination of FOC/NCV Goods -Reg

सभी आयातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकार्स, संरक्षकों, व्यापार के सदस्य एवं अन्य फणधारियों का ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of all Importers, Custom Brokers, Custodians, Members of Trade and other Stakeholders is invited to the above mentioned subject.

2. यह देखा गया है कि कई मामलों में , आयातकर्ता के अनुरोध पर , उचित मूल्य की सत्यापन के लिए गैर लागत आपूर्ति की गई वस्तु या गैर वाणिज्य मूल्य के आधार, पहला मूल्यांकन (पहला जॉच परीक्षण) के आधार पर आयात निर्धारण किया जाता है ।

It has been observed that in many cases, import assessment is being done on First Appraisement (First-Check Examination) basis, on the request of the importer, in the case of goods supplied as of Free of Cost (FOC) or No Commercial Value(NCV), to verify fair value of the goods.

3. यह देखने में आया है कि ऐसे वस्तुओं के संबंध में किये जानेवाले सामन्य पहला जॉच परीक्षण का प्रतिकूल प्रभाव प्रवास समय पर पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप 'व्यापार की सुगमता' पर भी इसका प्रभाव पडता है ,विशेष रूप से वर्तमान कोविड 19 के लॉक डाउन अवधि के दौरान व्यापार कई प्रकार की मुश्किलों को समना करते हैं ।

It is noticed that the process of routine First-Check Examination of such goods has an adverse effect on dwell time, thereby affecting 'Ease of doing business', especially during the present period, where trade is facing difficulties on account of lockdown due to COVID-19.

4. **अत: व्यापार को सुविधा उपाय प्रदान करने की उद्देश्य से ,एफ.ओ.सी/एन.ओ.सी वस्तुओं की निकासी के संबंध में निम्न प्रकार की कार्यवाही निर्धारण करने के लिए निर्णय लिया गया है ।**

Therefore, as a trade facilitation measure, it has been decided to prescribe the following procedure with regard to clearance of FOC/NCV goods:

i. सीमा शुल्क ब्रोकर/आयातकर्ता स्वत: पूर्ण रूप से ऐसे आगम बिल को दूसरे जांच परीक्षण के अधीन दायर कर सकते हैं, दायर करते समय सीमा शुल्क ब्रोकर/आयातकर्ता उतिच मूल्य को घोषित करना है और ई संचित में अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के साथ आयात किये गये वस्तुओं की पूरी विशिष्ठताओं एवं वस्तुओं के केटलॉग /तकनीकी विवरण को भी अपलोड करना चाहिए ।
The Custom broker/Importer will be at liberty to file such Bills of Entry under Second check examination and while filing, Custom Broker / importer has to declare fair value and upload full specifications of imported goods and catalogue/technical detailsof the item(s),along with other mandatory documents, on E-Sanchit.

ii. आयात कर्ता द्वारा वस्तुओं के मूल्य,विविरण एवं प्रकृति के संबंध दिये गए घोषणाओं एवं ई संचित में अपलोड किये गए दस्तावेजों एवं उपलब्ध तुल्नात्मक डाटा के आधार पर, दूसरे जॉच परीक्षण के आधार पर निर्धारण करनेवाले अधिकारी ऐसे आगम बिलों का निर्धारण कर सकते हैं । जहॉ शेड अधिकारी द्वारा मूल्य की सत्यापन वांछित है, वह परीक्षण में आदेशित किया जा सकता है । यदि परीक्षण के दौरान मूल्य या किसी पारामीटर में कुछ बदलाव दिखाया जाता है तो, आगम बिल को निर्धारण अधिकारी को वर्तमान कार्यवाही के अनुसार पुन: निर्धारण के लिए वापस भेजा जा सकता है
The Assessing Officers can assess such Bills of Entry on second check examination basis,based on the declaration given by the importer in respect of value, description and nature of goods,documents uploaded on E sanchit and comparative data available. Wherever verification of value by shed officer is required, it can be ordered in examination. In case any change in value or any other parameter is noticed during examination, Bill of Entry can be sent back to the Assessment officer for reassessment as per existing procedure.

iii. बहरहाल, यदि निर्धारण अधिकारी आसूचना या अन्य किसी कारणवश् पहला जॉच मूल्यांकन करना चाहते हैं तो , निर्धारण अधिारी द्वारा आदेश दिया जा सकता है ।
However, in case the Assessing officer has any reason based on intelligence or otherwise to do first check appraisement, same may be prescribed by the Assessing officer.

iv. यदि आगम बिलों के पहला जॉच परीक्षण के लिए आदेश दिया गया तो, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन निर्धारित कार्यवाहियों एवं इससे संबंधित नियम/विनियमन में निर्धारित कार्रवाई को यथोचित समय के अंदर किया जाना चाहिए ।
In case First Check examination of Bills of Entry is prescribed, regular procedure as prescribed under Customs Act, 1962 and Rules/Regulations in this regard, should be carried out within reasonable time.

5. अधिकारियों के लिए इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के आधार पर लेने वाली कार्रवाई के लिए यह स्थायी आदेश के रूप में लागू होगा ।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

अशोक 21/05/2020
(अशोक /ASHOK)

प्रधान आयुक्त / PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH द्वारा जारी किया जाता है / Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रतिप्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to::

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru

2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गॉधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru

3.बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore 4)All Airlines through Association.

4. सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association

5)फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरगनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

6)सभी संरक्षकों/All Custodians.

7.बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website

8)सूचनापट्ट /Notice Board.

9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association)

10)मास्टरफाईल/ Master File